तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ता... में जारी हुए
29.5.12	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.करना मे पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी स.1 स्वंय उपस्थित।इनकी पहचान अधिवक्ता श्री बीजाराम गोदारा द्वारा दी गई। विप्रार्थी स.7 उपस्थित। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। शेष विप्रार्थी स.1 से 6 बावजुद सुचना के अनुपस्थित है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया,कि ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 250,421/296 कुल रकबा 153–15 बीधा भूमि आई हुई है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी स.1 से 6 विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदारान है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम केसराराम है। लेकिन तत्कालीन राजस्वकर्मी की भूल से प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम केसरा के स्थान पर फुआ नाम का अंकन किया गया। जो आदिनांक तक रिकार्ड मे गलत नाम का इन्द्राज चला आ रहा है। जो राजस्व रिकार्ड मे सही नाम केसराराम दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावे।	कंवरराम
	हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 250,421/296 कुल रकबा 153–15 बीधा भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी स.1 से 6 रिकार्डड सहखातेदारान है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चम्पा भाखरी की खसरा सख्या 250,421/296 व 253 मे प्रार्थी के दादा के प्राणांत बाद नामान्तकरण सं.160 द्वारा प्रार्थी को नाम फुआ वल्द केसरा सही दर्ज हुआ। इसी नामान्तकरण स.160 प्रभावित होने वाली ग्राम करना की जमाबंदी संवत 2031–2034 मे भी प्रार्थी का सही नाम फुआ वल्द केसरा दर्ज हुआ। जो अनवरत जमाबंदी संवत 2053–2053 तक प्रार्थी का सही नाम दर्ज होता रहा। जबकि जमाबंदी सवंत 2054–2057 मे खसरा सख्या 250,421/296 रकबा 153–15 बीधा मे प्रार्थी का नाम फुआ वल्द ईशरा दर्ज हुआ। जो आदिनांक तक रिकार्ड मे उक्त अशुद्व चली आ रही है। विवादित भूमि मे प्रार्थी के पिता का नाम फुआ के स्थान पर केसराराम दुरूस्त किये जाने की तहसीलदार द्वारा अभिशंषा की गई है। एवं पत्रावली के सलंग्न अन्य दस्तावेजात यथा–प्रार्थी का वोटर कार्ड प्रति,आधार कार्ड प्रति मे प्रार्थी के पिता का सही नाम केसराराम दर्ज है। विप्रार्थी स.1 ने भी स्वीकार किया है,कि प्रार्थी के पिता का सही नाम केसराराम है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर प्रार्थी का वास्तविक नाम केसराराम	

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

होना पाया गया है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर **ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 250,421/296 कुल रकबा 153—15 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) मे अंकित गलत प्रविष्टि फुआ वल्द ईशरा के स्थान पर सही नाम फुसाराम वल्द केसराराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष बदुस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

2/5/12

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner